SBS GOVT. P.G. COLLEGE

PIPARIYA

SSR DOCUMENT

2022-23 TO 2018-19

CRITERION - 5

Student Support and Progression

Metrics No. 5.1.1

Document Title:

Policy Document of HEI for award of scholarship and free ships.

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Shaheed Bhagat Singh Government P.G. College Pipariya
Distt.- Narmadapuram (M.P.)

College Code – 3203 AISHE Code – C-35178

Accredited by NAAC with B+ Grade

Email – hegpgcpiphos@mp.gov.in, Website – www.sbsgovtpgcollegepipariya.in, Phone/Fax – 07576-220112

कार्यालय प्राचार्य, शहीद भगत सिंह
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पिपरिया, जिला–नर्मदापुरम् (म.प्र.)
NAAC द्वारा B+ ग्रेड में मूल्यांकित
ईमेल- hegpgcpiphos@mp.gov.in
महाविद्यालय कोड- 3203
फोन/फैक्स- 07576–220112
वेबसाईट- www.gpgcpipariya.nic.in

OFFICE OF THE PRINCIPAL, SHAHEED BHAGAT SINGH
GOVERNMENT P. G. COLLEGE
PIPARIYA, DIST-NARMADAPURAM (M.P.)
Accredited by NAAC with B+ Grade
E-mail: hegpgcpiphos@mp.gov.in
COLLEGE CODE: 3203
PHONE /FAX: 07576-220112
Website: www.gpgcpipariya.nic.in

Ref No. 1440/Est/SBSGPGCP/2024 Pipariya, Date 19.06.2024

DECLARATION

This is to declare that the information, reports, true copies of supporting documents, numerical data etc. furnished in this file as supporting documents are verified by IQAC and found correct.

IQAC Coordinator
Coordinator (IQAC)
Internal Quality Assurance Cell
S. B. S. Govt. P. G. College
PIPARIYA (M. P.)

Principal
PRINCIPAL
Shaheed Bhagat Singh Govt. P.G. College
PIPARIYA (M. P.)

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

INDEX

Policy Document of HEI for award of scholarship and free ships.

S. No.	Detail	Page Number
1	POST METRIC OBC	1-20
2	SAMBAL(JANKALYAN) YOJNA	21-37
3	MEDHAVI YOJNA	38--53
4	GWAN KI BETI YOJNA	54-62
5	PRATIBHA KIRAN YOJNA	63

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004.

--::आदेश::--

भोपाल दिनांक– 12/12/2013

क्रमांक एफ –12–01/11/54–1 राज्यशासन एतद् द्वारा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति विनियम 01 जुलाई 2003 के स्थान पर पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये जाते है।

1. उद्धेश्य :

इस योजना का उद्धेश्य भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें।

2. व्याप्ति (क्षेत्र) :

ये छात्रवृत्तियां भारत में अध्ययन करने के लिए पिछड़ा वर्ग के उन छात्र/छात्राओं को देय होंगी जो मध्यप्रदेश राज्य के वास्तविक निवासी हो अर्थात् वे यहां स्थाई रूप से रहने लगे हों।

3. पात्रता की शर्तें :

3.1 ये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओं को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हों, देय होगी। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग की सूची (सहपत्र–एक) संलग्न है। जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति के दौरान इस आशय का स्पष्ट प्रमाण पत्र संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।।

3.2 छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस आशय का प्राचार्य को स्पष्ट प्रमाणपत्र भी संस्था को संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति का वितरण आनलाइन, सही पात्रता के आधार पर ही की जावेगी।

3.3 छात्रों के प्रवेश के संबंध में अंतिम समय सीमा प्रतिवर्ष 15 दिसंबर तक निर्धारित होगी। इस अवधि तक प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को ही शैक्षणिक शुल्क

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

की राशि की पूर्ति की जायगा। किसी भी छात्र की फीस आगामी वर्ष के लिए कैरी फारवर्ड नहीं की जावेगी।

3.4 ये छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़ मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिये दी जावेगी :

"विमान अनुरक्षण इंजीनियर का पाठ्यक्रम तथा अशासकीय विमान चालक लायसेंस पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण जलयन डफरिन (अब राजेन्द्र) के पाठ्यक्रम, सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों", "अखिल भारतीय, तथा राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के पाठ्यक्रमों के लिये ये छात्रवृत्तियां नहीं दी जावेगी"

3.5 केवल वे ही उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो तथा जो यहाँ वस्तुतः निवास करते हो अर्थात् जो यहाँ स्थायी रूप से बस गये हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या विश्वविद्यालय या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, इसके पात्र होंगे।

3.6 ऐसे उम्मीदवार, जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगे, उदाहरणार्थ बी.काम के बाद बी.ए. करने लगे या एक विषय में एम.ए. करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम. ए. करने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।

3.7 ऐसे उम्मीदवार,, जो किसी एक व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिये अध्ययन प्रारम्भ कर दे, जैसे बी.टी./बी.एड. के बाद एल.एल.बी. करने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।

3.8 चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, बशर्ते उनके अध्ययन काल में उन्हे प्रेक्टिस करने की अनुमति न दी गई हो।

3.9 ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकि प्रमाण-पत्र डिप्लोमा उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, हो उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी, बशर्ते वे अन्यथा रूप से इसके पात्र हों। उसके बाद अनुत्तीर्ण होने की छूट नहीं दी जाएगी। (समूह "1" के पाठ्यक्रमों को छोड़) और आगे के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.10 ऐसे उम्मीदवार, जो पात्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन करते है अब वे आगे वापिस न किए जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। पत्राचार पाठ्यक्रम में स्पष्ट और निरन्तर शिक्षा शामिल है। आगे वापिस न की जाने वाली

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

फीस के साथ-साथ ऐसे विद्यार्थी अनिवार्य/निर्धारित पुस्तकों के लिये रूपये 500/- का वार्षिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र भी होंगे।

3.11 ऐसे छात्र, जो पूर्णकाल/अंशकाल नियोजन में हो, इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हों तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

ऐसे नियोजित विद्यार्थी जिनकी आय उनके माता/पिता/अभिभावकों की आय सहित रूपये 75,000/- वार्षिक से अधिक न हो, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इसमें पात्र सभी अनिवार्य देय जो वापिस न करने योग्य हो शुल्क ही देय होगा।

3.12 अंशकालिक पाठ्यक्रमों के अध्येता छात्र एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों में अध्ययनरत छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।

3.13 एक ही माता/पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह प्रतिबन्ध लड़कियों पर लागू नहीं होगा।

3.14 इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाले कोई भी छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रदान की गई है तो छात्र दोनों छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति में से किसी एक को, जो भी उसके लिये अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और किए गए विकल्प के बारे में संस्था के प्रधान के माध्यम से प्रदान कर्ता प्राधिकारी को सूचना देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन (किसी भी) छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जावेगा। तथापि, छात्र राज्य शासन से या किसी अन्य स्त्रोतों से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गई छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

3.15 ऐसे छात्र, जो पहले से ही शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त कर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों, पात्र नहीं होंगे।

4. आय जांच :

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान निम्नलिखित "आय जांच" के अनुसार किया जावेगा।

4.1 समूह 'A' अंतर्गत केवल मेडिकल/इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाले -- पूरा अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

विद्यार्थियों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय सभी स्त्रोंतो से भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित रूपये 75000/– वार्षिक से अधिक न हो

4.2 "4.1" को छोड़कर अन्य सभी समूहों एवं समूह '1' के शेष पाठ्यक्रमों के लिए उन विद्यार्थियों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय सभी स्त्रोंतो से रूपये 75000/– वार्षिक से अधिक न हो– – पूरा अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस।

4.3 उन छात्रों के मामले में जिनके माता–पिता/अभिभावक की आय सभी स्त्रोंतो से रूपये 75000/– वार्षिक से अधिक हो– – कोई छात्रवृत्ति नहीं।

टीप :–(एक) जब माता–पिता में से कोई एक (या विवाहित बेरोजगार छात्रा के मामले में पति) जीवित हो, तो केवल माता–पिता/पति (यथा–स्थिति) की सभी स्त्रोंतो से आय ही ली जानी चाहिए न कि अन्य सदस्यों की आय, भले ही वे कमा रहे हो। आय की घोषणा वाले फार्म में आय इसी आधार पर घोषित की जानी चाहिए। केवल ऐसे मामलों में जहाँ माता–पिता दोनों (अथवा बेरोजगार विवाहित छात्रा के मामले में पति) मर चुके हो, तब उस अभिभावक की आय को लेना होगा जो विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा में आ जाती है तो ऐसे दुखद घटना के होने वाले महिने से वह छात्रवृत्ति के पात्र बन जावेगें बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्त पूरी करते हो। ऐसे विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन अनुकंपा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के समाप्त होने के बाद भी विचार किए जा सकते है।

टीप :–(दो) किसी विद्यार्थी के माता–पिता द्वारा प्राप्त किये जाने वाले गृहभाड़ा भत्ते की "आय" में शामिल नहीं किया जावेगा बशर्ते उसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट दी गई हो।

टीप :–(तीन) किसी विद्यार्थी से आय प्रमाण–पत्र केवल एक बार ही मांगा जावेगा अर्थात (किसी पाठ्यक्रम में जो एक वर्ष से अधिक अवधि का हो, में दाखिला लेते समय)

5. <u>छात्रवृत्ति की रकम</u> :

छात्रवृत्ति की रकम में अनुरक्षण व्यय, फीस तथा अनुमोदित अध्ययन दौरे तथा शोध प्रबंध के मुद्रलेखन तथा मुद्रण पर होने वाले व्यय शामिल है। जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये है :–

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

5.1 अनुरक्षण भत्ता :

अनु.	समूह	भरण पोषण भत्ते की दर (रु प्रति माह) राशि रुपए			
		छात्रावास में रहने वाले		छात्रावास में न रहने वाले	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6
	समूह– 1 चिकित्सा (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां), इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि पशुचिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर प्रयोग/विज्ञान में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित वाणिज्यिक पायलट लायसेंस) (हेलीकाप्टर पायलट और मल्टी इंजिन रेटिंग्स सहित) पाठ्यक्रम	425 425	425 425	190 190	190 190
	समूह– 2 अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम. फिल, पीएचडी) तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान सहित) स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में सम्मिलित नहीं हैं। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तर के डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम।	210 210	220 225	100 100	110 115
	समूह– 3 स्नातक तथा उससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 और 2 में सम्मिलित नहीं है)	185 185	195 200	100 100	110 115
	समूह– 4 ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी	185 185	195 200	100 100	110 115

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

	मेट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमेडिएट परीक्षा आदि जो "समूह–2" और "समूह–3" में सम्मिलित नहीं है। आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक (यदि पढाई करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मेट्रिकुलेशन हो)।				

टीप : 1. व्यावसायिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम

व्यावसायिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम समूह '2' के अंतर्गत शामिल है। यह घोषणा की गई है कि वर्ष 1994–95 से व्यावसायिक पायलट लाइसेंस के लिए पुरस्कारों की संख्या प्रतिवर्ष 20 है । संबंधित छात्रों से आवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना के अंतर्गत उनकी पात्रता निश्चित करने के लिए जांच करेगा तथा उसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिये पात्र उम्मीदवारों की संख्या (उनके नाम सहित) सूचित करेगा। आवेदन मंत्रालय को स्वयं नहीं भेजे जाएं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली पूरे देश के लिए 20 पुरस्कार तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट करेगा।

चयनित उम्मीदवारों को होस्टल में रहने वालों को रूपये 290/– प्रतिमाह तथा दिवा छात्रों को रूपये 190/– प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उड़ाने प्रभारों सहित सभी अनिवार्य शुल्कें फीस में प्रदान की जाती हे।

टीप : 2 एम.फिल तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके समूहों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के आधार पर समूह '1', '2', '3' के लिए अनुरक्षण भत्ते की दरों पर किया जाता है।

टीप : 3 समान्यतः– 'छात्रावास' शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों के लिए एक साझा आवासीय भवन तथा साझा भोजनालय जो शैक्षिक संस्था के प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन चलाया जा रहा हो। कॉलेज छात्रावास में आवास प्रदान करने में कॉलेज प्राधिकारियों के असमर्थ होने की स्थिति में आवास के लिए पिछड़ा वर्ग छात्रगृह योजना अंतर्गत अनुमोदित स्थान को भी इस योजना के अंतर्गत छात्रावास माना जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थान का अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे मामलों में इस आशय का प्रमाण–पत्र, कि विद्यार्थी आवास के लिए अनुमोदित स्थान में रह रहा है क्योंकि उसे कॉलेज छात्रावास में जगह नहीं मिली, संस्था के प्रमुख द्वारा किया जाना चाहिए।

टीप : 4 ऐसे विद्यार्थी जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास प्राप्त करते है, को छात्रावासियों की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जाएगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

5.2 नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए रीडर प्रभार (नेत्रहीन छात्रवृत्तियां नेत्रहीन विद्यार्थियों को निम्नलिखित अतिरिक्त राशि रीडर प्रभार के रूप में प्रदान की जावेगी।)

समूह	रीडर भत्ता (नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए प्रतिमाह)
समूह 1,2	रूपये 100
समूह 3	रूपये 75
समूह 4	रूपये 50

5.3 फीस :-

विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएं, चिकित्सा-जांच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जाएगा, परन्तु इसमें अवधान राशि, प्रतिभूति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है। संबंधित शिक्षण संस्थाओं को भी तदाशय की निर्धारित शासकीय फीस के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता व स्वीकृति अनुसार देय फीस की राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित शिक्षण संस्था को किया जावेगा। अतः किसी भी शिक्षण संस्था को संबंधित जिले के सहायक संचालक के माध्यम से आनलाइन उनके खाते में राशि पश्चात् जमा की जावेगी। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी की तरह ही कोई शुल्क न लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये प्रस्ताव संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।

5.4 अध्ययन दौरा :-

व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को अध्ययन दौरा व्यय दिया जाएगा जो अधिक से अधिक 500 रूपये प्रतिवर्ष तक तथा रेल/बस किराया, तांगा व्यय आदि पर छात्र द्वारा किये गये वास्तविक व्यय तक सीमित होगा, बशर्ते संस्था-प्रमुख यह प्रमाणित करें कि अध्ययन दौरा छात्र/छात्राओं के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

5.5 शोध प्रबंध के मुद्रलेखन/मुद्रण का व्यय :-

संस्था प्रमुख की सिफारिश पर शोध छात्रों को अधिक से अधिक 600 रूपये तक का मुद्रलेखन/मद्रण व्यय भी दिया जाएगा।

6. उम्मीदवारों का चयन:-

6.1 पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र उम्मीदवारों को विनियम 4 में विहित आय जांच के अध्यधीन छात्रवृत्तियां दी जावेंगी।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

6.2 उन उम्मीदवारों को जो एक राज्य से संबंधित हैं किन्तु दूसरे राज्य में अध्ययन कर रहे हैं, उस राज्य द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाएगी जिस राज्य के वे हैं तथा वे अपना आवेदन पत्र उसी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। शुल्कों में छूट तथा अन्य रियायतों के मामले में भी यही समझा जाएगा कि वे अपने ही राज्य में अध्ययन कर रहे हैं।

7. छात्रवृत्ति की अवधि तथा नवीनीकरण:—

7.1 एक बार दी गई छात्रवृत्ति उस समय से, जब वह दी गई, पाठ्यक्रम पूरा होने तक चालू रहेगी। शर्त केवल यह है कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता बरती जावें। उसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जावेगा, बशर्ते उस पाठ्यक्रम के दौरान जो वर्ष चलना है छात्र को इस तथ्य के बावजूद कि उसे ऐसी छूट विश्वविद्यालय द्वारा या संस्था द्वारा दी जाती है, उच्चतर कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाता है।

7.2 यदि कोई पिछड़ा वर्ग का छात्र जो चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ रहा हो, पहली बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकती है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार और उसके बाद अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को तब तक अपना खर्च वहन करना होगा जब तक कि वह अगली कक्षा में न चढ़ जाए।

7.3 यदि कोई छात्र बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षा में न बैठ सके, तो संस्था के प्रमुख के समाधान एवं चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर और उसके द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिये स्वीकृत की जा सकेगी।

7.4 यदि किसी विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार कोई छात्र अगली उच्च कक्षा में चढ़ा दिया जाए, भले ही वह निचली कक्षा में वस्तुतः उत्तीर्ण न हुआ हो और उसे कुछ समय बाद फिर निचली कक्षा की परीक्षा आवश्यक हो तो वह उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का हकदार होगा जिसमें वह चढ़ा दिया गया है, यदि छात्र अन्यथा रूप से छात्रवृत्ति का पात्र हो।

8. भुगतान—

8.1 अनुरक्षण भत्ता एक अप्रैल या प्रवेश के माह से जो भी बाद में हो उस माह तक जिसमें शैक्षणिक वर्ष के अन्त में परीक्षायें समाप्त हो, भुगतान योग्य हैं (छुट्टियों में पोषण व्यय सहित) परन्तु यदि छात्र किसी माह के 20 दिन बाद प्रवेश पाता है तो स्वीकृति भुगतान प्रवेश के माह के अगले माह से की जायेगी।

8.2 पिछले वर्ष में दी गई छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में अनुरक्षण भत्ते का भुगतान उस माह के बाद से किया जाएगा जिस तक पिछले वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका था, यदि अध्ययन लगातार चल रहा हो।

8.3 सभी विद्यार्थियों से अनुरक्षण भत्ते में से पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि खरीदने की अपेक्षा की जाती है। यदि संबंधित संस्था प्रमुख को यह पता चले कि छात्र के पास पाठ्य–पुस्तके लेखन–सामग्री आदि नहीं हैं तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार छात्रवृत्ति की राशि कम की जा सकेगी।

8.4 छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णतः आर.टी.जी.एस. के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में किया जायेगा तथा शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में सीधे जमा होगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

8.5 कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों की पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व वित्तीय वर्ष 2013–14 से स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना मद में किए गए प्रावधान से किया जाएगा अतएव कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के छात्रों को छोड़कर पोस्टमेट्रिक कक्षाओं के शेष छात्रों का भुगतान पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बजट प्रावधान से किया जाऐगा।

8.6 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की औसत 75 प्रतिशत वार्षिक उपस्थिति एवं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पुष्टि के पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रम की मान्यता, वास्तविक विद्यार्थियों के प्रवेश संख्या की मान्यता का पूर्ण परीक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी (बीमारी आदि की स्थिति को छोड़कर) संबंधित कोर्स की परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेवें तथा विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जावेगा।

9. बी.एड. में अध्ययनरत छात्रों को भी छात्रवृत्ति की पात्रता नियम 5.3 अनुसार ही होगी।

10 छात्रवृत्ति देने के लिए अन्य शर्तें–

10.1 छात्रवृत्ति का दिया जाना विद्यार्थी की संतोषप्रद प्रगति तथा आचरण पर निर्भर करता है। यदि किसी समय संस्था प्रमुख द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कोई छात्र अपने कार्य या चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है और किसी कदाचरण का दोषी है जैसे हड़ताल करना या उसमें भाग लेना, संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना उपस्थित होने में अनियमितता बरताना आदि, को दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकेगा या बन्द कर सकेगा या ऐसी अवधि के लिए उसका आगे का भुगतान रोक सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

10.2 यदि यह पता चले कि उम्मीदवार ने मिथ्या कथन द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जायेगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि राज्य शासन के निर्देशानुसार वसूल की जाएगी। संबंधित विद्यार्थी का नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा और उसे किसी भी योजना में सदैव के लिए छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा।

10.3 यदि कोई छात्र अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है जिसके लिए मूलतः उसे छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी अथवा राज्य शासन पूर्वानुमोदन के बिना अपनी अध्ययन संस्था को बदलता है तो उसे दी गई कोई भी छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है। संस्था प्रमुख शासन को ऐसे मामलों की सूचना देगा और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बंद कर देगा। पूर्व में भुगतान की गई राशि भी राज्य शासन के विवेकानुसार वसूल की जा सकेगी।

10.4 यदि छात्र अध्ययन वर्ष के दौरान, अपना अध्ययन जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति दी गई थी, बन्द कर देता है, तो राज्य शासन के विवेकानुसार वह छात्रवृत्ति की राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

10.5 राज्य सरकार के विवेकानुसार कोई भी विनियम किसी भी समय बदला जा सकता है।

11. आवेदन करने की अंतिम तिथि–

11.1 छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संस्था प्रमुख को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा संबंधित कोर्स प्रारंभ होने के 30 दिन के अन्दर जो भी बाद में हो ऐसे निर्धारित प्रारूप में, ऐसे प्रमाण–पत्रों/सहपत्रों सहित ऐसी समयावधि में आवेदन किया जावेगा जो समय–समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाए, किन्तु 30 दिसंबर के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.2 निर्धारित समयावधि के बाद किये गए आवेदनों या अपूर्ण आवेदनों या निर्धारित प्रमाण–पत्रों/सहपत्रों के बगैर किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. आवेदन की प्रक्रिया–

12.1 छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में निम्नलिखित सम्मलित होना चाहिए–

(क) निर्धारित फार्म में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति 'नई' तथा नवीनीकृत छात्रवृत्ति के लिए अलग–अलग आवेदन प्रपत्र निर्धारित किए गए है।

(ख) छात्र द्वारा हस्ताक्षर की हुई पासपोर्ट आकार फोटो (नई छात्रवृत्ति के लिए)

(ग) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं से संबंधित डिप्लोमा डिग्री इत्यादि के प्रमाण–पत्रों की एक सत्यापित प्रति।

(घ) प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे न हों के द्वारा यथाविधि हस्ताक्षर किया हुआ एक जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ङ) माता–पिता/अभिभावक द्वारा सभी स्त्रोतों से आय बतलाते हुए आय की घोषण एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(च) आवेदन पत्र से संलग्न फार्म में संबंधित संस्थान के प्रधान द्वारा यथाविधि प्रति हस्ताक्षर की गई छात्रवृत्ति की प्राप्ति की रसीद यदि आवेदक ने इस योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त की हो।

12.2 सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, अभ्यर्थी जिस संस्थान में अध्ययन कर रहा है या अध्ययन कर चुका है के प्रधान को प्रस्तुत किए जाए तथा विद्यार्थी से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी को संबोधित किए जाए।

12.3 अपूर्ण या निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पद्मा रोकड़े)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

पृ0क्र0 एफ --12--01/11/54--1 भोपाल दिनांक 12/12/2013

प्रतिलिपि :--

1-- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली.
2 -- निज सचिव माननीय मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
3 -- अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4 -- आयुक्त,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,सतपुड़ा भवन भोपाल।
5-- प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम,श्यामलाहिल्स भोपाल।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/अनुसूचितजाति कल्याण विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
7-- समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
8-- समस्त सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0।
9 -- समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, म0प्र0।
10 -- आयुक्त जनसंपर्क विभाग।
11 -- स्टॉक फाईल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल–462004
––000––

आदेश

भोपाल, दिनांक 21 / 09 / 2016

क्रमांक एफ 12–1 / 2011 / 54–1, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.012.2013 द्वारा प्रतिस्थापित पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विनियम 2013 के नियम क्रमांक 8. भुगतान– अंतर्गत कंडिका 8.4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

"पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत संपूर्ण स्वीकृत छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता+शिक्षण शुल्क+अन्य व्यय) का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जायेगा।"

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 12–1 / 2011 / 54–1, भोपाल, दिनांक 21 / 09 / 2016

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, म0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग / तकनीकी शिक्षा विभाग / अनुसूचित जाति कल्याण विभाग / आदिम जाति कल्याण विभाग / आयुष विभाग।
4. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. समस्त सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म0प्र0।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

(13) (840)

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल–462004
––000––

कमांक/038/1374/2016/54–1, भोपाल, दिनांक05/10/2016

प्रति,

आयुक्त,
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषयः– भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति।

संदर्भः– 1. म0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का आदेश कमांक/एफ–12–04/2015/54–1, दिनांक 26.06.2015
2. म0प्र0 शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का आदेश कमांक/773/2015/54–1, दिनांक 09.09.2015

––000––

शासन द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से जारी आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी। विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावको की वार्षिक आय सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की मान्य की जाये जो कि वर्तमान मे रूपये 1.00 लाख वार्षिक निर्धारित है।

ऐसी छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने पर अतिरिक्त व्यय भार की पूर्ति भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से की जायेगी।

5/10/2016

(मीनाक्षी मालवीया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0कमांक /1374/2016/54–1, भोपाल, दिनांक /10/2016

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र.।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेशै।
3. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला समस्त।
4. आर्डर बुक/स्थापना सहायक।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Sd/-
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
-::आदेश::-

भोपाल, दिनांक 5/7/2017

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-01/2011/54-1, दिनांक 12/12/2013 राज्यशासन एतद् द्वारा प्रतिस्थापित पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति विनियम 2013 के नियम क्रमांक 5 छात्रवृत्ति की रकम अंतर्गत कंडिका 5.3 फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

"विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएं, चिकित्सा-जांच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जाएगा, परन्तु इसमें अवधान राशि, प्रतिभूति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 5/7/2017

पृ0 क्रमांक एफ 12-01/2011/54-1
प्रतिलिप :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त सहायक संचालक/प्रभारी अधिकारी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला समस्त।
5. आर्डर बुक/स्थापना सहायक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक/एफ- 12-3/2015/54-1 ------------भोपाल दिनांक 19-06-2018

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये गए हैं।

राज्य शासन द्वारा मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 05/06/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रतिस्थापित नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. नियम कण्डिका क्रमांक 3.11 में संशोधन किया जाता है कि – "ऐसे छात्र, जो पूर्णकाल/अंशकाल नियोजन में हो, इसके पात्र नहीं होंगे, तदापि, नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

ऐसे नियोजित विद्यार्थी जिनकी आय उनके माता/पिता/अभिभावकों की आय सहित रूपये 3,00,000/– (राशि रूपये तीन लाख) वार्षिक से अधिक न हो, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इसमें मात्र सभी अनिवार्य देय जो वापिस न करने योग्य हो शुल्क ही देय होगा।

2. नियम कण्डिका क्रमांक 5.1 – अनुरक्षण भत्ता में निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं –

क्र	समूह	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (रूपये प्रतिमाह)	
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1	समूह–1 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, भारतीय चिकित्सा में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नहीं हैं) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित विधि विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम सी.पी.एल./सी.ए./सी.एस./एम–फिल/पी.एच.डी/डी.एस.सी/डी.लिट/एल.एल.एम. आदि	रूपये 650/–	रूपये 380/–
2	समूह–2 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया	रूपये 450/–	रूपये 230/–

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

19.6.18

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

	तथा होम्योपैथिक) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध/होटल प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम, नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रबंध, चार्टर्ड एवं लागत/निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	.....	
3.	समूह–3 बी.ए/बी.एस.सी/बी.काम/बी.एड, समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम एवं अन्य जो समूह 1 और 2 में शामिल नहीं है।	रूपये 400/–	रूपये 230/–
4	ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर पाठयक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमिडियेट परीक्षा आदि	रूपये 400/–	रूपये 230/–

3. नियम कण्डिका क्रमांक 5.3 – फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

5.3.1 " विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएं, चिकित्सा–जाँच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जायेगा परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिपूर्ति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

5.3.2 भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.3 राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.4 अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज)/अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

19.6.15

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

5.3.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे. ई.ई. (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़े वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

5.3.6 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा। शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मेधावी छात्र योजना के समान, दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रूपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पांच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रूपये पच्चीस लाख होगी।

उपरोक्तानुसार आदेश शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार मालवीय)
अदर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/एफ. 12-3/2015/54-1 भोपाल दिनांक 19-06-2018

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अदर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 9-7-2018

क्रमांक/785/2018/54-1

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये गए हैं।

शासन के आदेश क्रमांक एफ 12–1/2011/54–1 दिनांक 21.09.2016 द्वारा प्रतिस्थापित नियमों के नियम क्रमांक 8 भुगतान-- अंतर्गत कण्डिका 8.4 में संशोधन किया गया है। शासन द्वारा किये गये संशोधन में निम्नानुसार बिन्दु जोड़ा जाता है –

3.4.1 प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में संचालित केवल बी.ई./एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योजनांतर्गत स्वीकृत शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान सीधे शासकीय संस्थाओं के खाते में ऑनलाईन करते हुए अनुरक्षण भत्ता का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खातों में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जाए।

उपरोक्तानुसार आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार मौलपीये)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

भोपाल दिनांक 9-7-2018

पृ0 क्रमांक/786/2018/54-1

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल–462004

कमांक /1408/2018/54–1, भोपाल, दिनांक /05/2019

आदेश

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश कमाक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12/12/2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनिमय 2013 प्रतिस्थापित किये गए है।

2. शासन के आदेश कमांक एफ 12–1/2011/54–1 दिनांक 21–09–2016 द्वारा प्रतिस्थापित नियमों के नियम कमांक 8 भुगतान–अंतर्गत कण्डिका 8.4 में संशोधन किया गया हैं। शासन के आदेश कमांक/785/2018/54–1 दिनांक 09–07–2018 द्वारा किये गये संशोधन में निम्नानुसार बिंदु कमांक 8.4.1 जोड़ा गया है–

8.4.1 प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में संचालित केवल बी.ई./एम.बी.बी.एस. पाठ्यकमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योजनांतर्गत स्वीकृत शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्को का भुगतान सीधे शासकीय संस्थाओ के खाते में ऑनलाईन करते हुए अनुरक्षण भत्ता का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खातों में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जाए।

3. उपरोक्त बिंदु के अतिरिक्त निम्नानुसार बिंदु कमांक 8.4.2 जोड़ा जाता है–

8.4.2 प्रदेश की शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योजनांतर्गत स्वीकृत शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्को का भुगतान सीधे शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओ के खाते में ऑनलाईन करते हुए अनुरक्षण भत्ता का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खातो में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जाए।

उपरोक्तानुसार आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 7/6/2019

पृ. कमांक/ 204 /1408/2018/54–1,
प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव,माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2 आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3 प्रमुख सचिव मप्र शासन तकनिकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
4 कलेक्टर, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ ।
5 समस्त सहायक संचालक,पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

06.6.19
अवर सचिव
मप्र शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

कार्यालय आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र.
सतपुड़ा भवन द्वितीय तल खण्ड –घ भोपाल

कमांक / पीएमएस / GOI /04 / 2020–21 / 2427- भोपाल दिनांक 22/07/2020

प्रति,

सहायक संचालक,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला– समस्त (म0प्र0)

विषय– पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नई दिल्ली से प्राप्त राशि।

संदर्भ–अवर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र / 12013 / 03 / 2020–BC-I दिनांक 17.07.2020

––00––

विषयांतर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नई दिल्ली से प्राप्त संदर्भित पत्र जिसकी छाया प्रति संलग्न है का अवलोकन करें जिसमें भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से राशि रूपये 2.50 लाख निर्धारित की गई है ।

2. भारत सरकार से पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का आवंटन योजना मांग संख्या 066–2225–03–277–0801–2676–41–002 अंतर्गत जिलों को उपलब्ध कराया जाता है।

अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(रमेश एस थेटे)
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश 21.7.2020

पृ0कमांक / पीएमएस / GOI /04 / 2020–21 / 2428 भोपाल दिनांक 22/07/2020

प्रतिलिपि:–

1. अवर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नई दिल्ली की ओर उनके संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
2. सचिव, म0प्र0शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर, जिला–समस्त (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Policy Documents of Jankalyan Yojna (sambal yojna)

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

: : संशोधित आदेश : :

भोपाल, दिनांक २१ अगस्त 2018

क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **"मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना"** में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09-07-2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कंडिका 3.5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रस्थापित की जाती है:-

राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एंव आईटीआई (ग्लोवल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगां।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ.एम.आर.धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

भोपाल, दिनांक २१ अगस्त 2018

पृ.क्रमांक एफ 14-2/2008/42(2)

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन उच्च् शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
6. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
8. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
12. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
13. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माता/पिता का म0प्र0 शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठयक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर **मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना** के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अंतर्गत स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठयक्रमों हेतु व्यय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया हैं, का ही भुगतान किया जायेगा।

- इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्स (JEE MAINS) परीक्षा में रैंक 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तवित शिक्षण शुल्क जो भी कम हो।
- मेडिकल की पढाई हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी।
- विधि की पढाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हो।
- भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित हैं) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर।
- राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पॉलीटेकनिक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठयक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) में प्रवेश प्राप्त करने पर।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/ डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर ।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

विद्यार्थियों द्वारा सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

(नोट- यह अभिलेख मात्र सुविधा के लिए है, योजना के संचालन के लिए शासन/नोडल विभाग द्वारा जारी निर्देश ही अधिकृत रूप से मान्य होंगे।)

प्रश्न-01: योजना का लाभ कौन-कौन प्राप्त कर सकता है?

उत्तर : वैसे विद्यार्थी जिनके माता/पिता का मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो।

प्रश्न-02: योजना में हितग्राही किस प्रकार लाभान्वित हो सकेगा?

उत्तर : पात्र आवेदकों को उच्च शिक्षा के विभिन्न मान्य पाठ्यक्रमों में भारत सरकार/ मध्यप्रदेश राज्य शासन/मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग/ शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क (काशन मनी एवं मेस शुल्क को छोड़कर) का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न-03: यह योजना किस शैक्षणिक सत्र से लागू की जा रही है?

उत्तर : सत्र 2018-19 से।

प्रश्न-04: क्या प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रमों के अन्य वर्षों के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते है?

उत्तर : जी हाँ। उनको भी सत्र 2018-19 से उसी प्रकार लाभ प्राप्त होगा जैसा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा।

प्रश्न-05: क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं?

उत्तर : जी हाँ। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थी ले सकते हैं।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रश्न-06: क्या इस योजना का लाभ 12 वीं के स्वाध्यायी छात्रों को भी मिल सकता है?

उत्तर : जी हाँ, यह योजना स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये भी लागू है।

प्रश्न-07: मैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2017 के पूर्व ही उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश ले चुका था। क्या अब मुझे योजना से लाभ प्राप्त हो सकता है?

उत्तर : जी हाँ। यह योजना वर्ष 2018-19 से प्रारंभ हुई है, अतएव वर्ष 2018 या इसके उपरांत में पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान पाठ्यक्रम के जिस वर्ष में प्रवेश प्राप्त करेगी उसमें लाभ प्रदान किया जावेगा। अध्ययन के 2018-19 से पूर्व के वर्षों के लिए लाभ देय नहीं है।

प्रश्न-08: मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना का लाभ उच्च अध्ययन हेतु किन पाठ्यक्रमों में दिया जावेगा?

उत्तर : इस योजना के लिए नोडल विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 09.07.2018 की कंडिका 3 के अंतर्गत पात्रता रखने वाले संस्थानों के संदर्भ में निम्न क्षेत्रों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलबध करायी जावेगीः

- इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्स (JEE MAINS) परीक्षा में रैंक 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तवित शिक्षण शुल्क जो भी कम हो।
- मेडिकल की पढाई हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी।
- विधि की पढाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हो।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

- भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित हैं) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर।
- राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों, पॉलीटेकनिक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठयक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) में प्रवेश प्राप्त करने पर।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/ डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर ।

प्रश्न-09: क्या विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना वर्तमान में जारी है?

उत्तर : जी नहीं। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना को इस योजना में समाविष्ट किया गया है, यद्यपि विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना में पूर्व से सतत् लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी।

प्रश्न-10: योजना में आवेदन करने हेतु क्या अनिवार्य है?

उत्तर : विद्यार्थी/आवेदनकर्ता के पास आधार नम्बर एवं माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक होना अनिवार्य है। इंजीनियरिंग/ मेडिकल/विधि के लिए उनकी पात्रता के लिये निर्धारित अन्य दस्तावेज़ (यथा- जे.ई.ई. मेंस/नीट/क्लैट/अन्य प्रवेश परीक्षा आदि के लिए अभिवांछित प्रमाण) भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगे।

प्रश्न-11: मैंने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं?

उत्तर : जी हाँ। यदि आपकी रैंक 1 लाख 50 हजार तक हो तो आप इस योजना का लाभ JEE MAINS उत्तीर्ण होने वाले वर्ष में ले सकते हैं। अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना भी आवश्यक है।

प्रश्न-12: क्या JEE MAINS की निर्धारित रैंक से बाहर की रैंक वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिये नहीं मिलेगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रश्न-13: विद्यार्थी को JEE MAINS परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त कर JEE MAINS के आधार पर या अन्य आधार पर इंजीयनिरिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर क्या सहायता उपलब्ध करायी जावेगी?

उत्तर : इस योजना में JEE MAINS परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए राज्य शासन द्वारा शासकीय कालेज में प्रवेश लेने पर कालेज को देय शुल्क एवं प्रायवेट कालेज में प्रवेश की स्थिति में कालेज को देय वास्तविक शुल्क (अधिकतम रूपये 1.5 लाख) का वहन किया जावेगा।

प्रश्न-14: इंजीनियरिंग क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का इस योजना में मुख्य आधार क्या है?

उत्तर : पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान होना तथा JEE MAINS परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त करना।

प्रश्न-15: मैंने नीट (NEET) की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर : जी हाँ, नीट (NEET) के आधार पर शासकीय मेडिकल/डेंटल कालेज के एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कालेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी।

प्रश्न-16: क्या भारत शासन के अन्य संस्थानों को इस योजना में शामिल किया गया है?

उत्तर : जी हाँ। नीट (NEET) के अतिरिक्त भारत शासन के ऐसे संस्थान जो स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करते है,उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित मान्य किया गया है।

प्रश्न-17: क्या शासकीय एवं प्रायवेट मेडिकल कालेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बाण्ड भरना अनिवार्य है?

उत्तर : जी हाँ। इस योजना का लाभ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए लेने पर बाण्ड भरना अनिवार्य है। शासकीय मेडिकल कालेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बाण्ड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कालेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बाण्ड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

प्रश्न-18: क्या बी.डी.एस. में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं होगी।

प्रश्न-19: क्या किसी भी मेडिकल कालेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के मेडिकल कालेज अथवा मध्यप्रदेश मे स्थित प्रायवेट मेडिकल कालेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। नीट (NEET) के अतिरिक्त केन्द्र शासन के ऐसे मेडिकल कालेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं, में प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न-20: मैंने कामन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा पास की है, तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं?

उत्तर : जी हाँ, आप इस येाजना का लाभ (CLAT) उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं, परंतु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-21: क्या मैं विधि से संबंधित (CLAT) परीक्षा के अतिरिक्त परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित किसी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिये पात्र हूं?

उत्तर : हाँ, संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से केवल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रश्न-22: क्या इस योजना में भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स में प्रवेश लेने पर लाभ मिलेगा?

उत्तर : जी हाँ, परंतु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-23: क्या म.प्र. के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित बी.एस.सी., बी.ए., बी.कॉम. नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्क्रमों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : मध्यप्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों को योजना में सम्मिलित किया गया है। किंतु निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिये यह योजना लागू नहीं है।

प्रश्न-24: क्या पोलीटेक्निक कालेज एवं आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : जी हाँ। राज्य शासन के समस्त पोलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं आई.टी.आई. के पाठ्यक्रमो में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न-25: क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : जी नहीं।

प्रश्न-26: क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर : निजी क्षेत्र के केवल इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बीटेक/बीई पाठ्यक्रम एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिये योजना नियमानुसार लागू है। शेष निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में संचालित शेष पाठ्यक्रमों के लिये यह योजना लागू नहीं है।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रश्न-27: योजना का लाभ लेने के लिये किस प्रकार अप्लाई करना होगा?

उत्तर : अगर आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो www.scholarshipportal.mp.nic.in पर जाकर प्रथमतः रजिस्टेशन करवाना होगा। उसके उपरांत प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से पोर्टल पर ही आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। तत्पश्चात् भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्राप्त कर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित संस्था को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित संस्था द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर पोर्टल पर सत्यापन,स्वीकृति एवं संवितरण की कार्यवाही उपरांत आपको नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त होगा।

प्रश्न-28: आवेदन के लिये किन दस्तावेजों की उपलब्धता अभ्यर्थी के पास आवश्यक हैं?

उत्तर :

- माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन का प्रमाण-पत्र/कार्ड।
- 10वीं की अंकसूची
- अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
- प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची
- शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (मेस शुल्क एवं काशन मनी को छोड़कर) का विवरण, रसीद आदि
- आधार नंबर
- आधार लिंक बैंक खाता

  (निजी/अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में)

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रश्न-29: क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरा आधार नंबर एवं बैंक खाता आवश्यक हैं?

उत्तर : इस योजना के अंतर्गत निजी संस्थाओं के प्रवेशित विद्यार्थियों को देय शुल्क उनके आधार लिंक खाते में देय होगा। ऐसी स्थिति में ही आधार नंबर एवं आधार लिंक बैंक खाते की आवश्यकता होगी।

प्रश्न-30: क्या इस योजना के लाभ के लिये मेरे बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है?

उत्तर : जी हाँ। केवल निजी संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति में।

प्रश्न-31: क्या हमें इस योजना में आवास और खाने का पैसा भी दिया जायेगा?

उत्तर : योजना के अंतर्गत देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं काशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न-32: इस योजना के साथ क्या अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है?

उत्तर : विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अन्तर की राशि ही प्राप्त कर सकेगा।

प्रश्न-33: लाभान्वित विद्यार्थियों को क्या समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा?

उत्तर : जी हाँ, विद्यार्थी को पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक है।

प्रश्न-34: इस योजना के संचालन के लिए मध्यप्रदेश शासन का नोडल विभाग कौन है?

उत्तर : मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

: : आदेश : :

भोपाल दिनांक 9/07/18

क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 :: तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में वर्तमान में सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विभागवार विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रचलित योजनाओ को अतिक्रमित करते हुए, मध्यप्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर "**मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना**" सत्र 2018-19 से लागू करने के हेतु निम्नानुसार आदेश निर्गत किया जाता है:-

2. **पात्रता की शर्तें:-**

मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो ।

3. **योजना स्नातक/पोलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-**

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1लाख 50 हजार तक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई:-** जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वंय के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 **विधि की पढ़ाई:-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्वालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 भारत सरकार/राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों, पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एंव आईटीआई(ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुये) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- भारत सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय (कंडिका 3.1 एवं 3.2 में पात्र महाविद्यालयों को छोडकर) योजना में शामिल नहीं होंगे।

3.6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामडिकल साइंस के डिप्लोमा/डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्क्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.7 योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें:-

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के आधार लिंक खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि ही प्राप्त कर सकेगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेगें, ऐसा कर सकेगें।

4.5 इस योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व में अध्ययनरत है, उन्हे वर्ष 2018-19 से उसी अनुसार शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति/छूट की पात्रता होगी, जैसे 2018-19 मे प्रवेशित (प्रथम वर्ष) के पात्र विद्यार्थियो को होगी।

5. **योजना का क्रियान्वयन:-**

5.1 योजना शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगी।

5.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.3 तीनों विभागों को पूर्व से जारी विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना इस योजना में समाविष्ट मानी जाकर योजना अंतर्गत पूर्व से सतत् लाभान्वित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी।

5.4 **योजना में आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:-**

5.4.1 विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट/प्रतिपूर्ति हेतु www.scholarshipportal.mp.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी (User ID) एवं पासवर्ड (Password) प्राप्त करना होगा।

5.4.2 विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगिन कर योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करेगा।

5.4.3 विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर एवं माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा।

5.4.4 आवेदन करते समय विद्यार्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (जैसे JEE Mains एवं NEET इत्यादि), शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि, अपलोड करना होगा।

5.4.5 अगर ऑनलाईन आवेदन भरते समय विद्यार्थी ने पंजीयन संबंधी आवेदन त्रृटि पूर्ण भरा है तो उसे पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकता है, परन्तु यह सुविधा एक बार ही प्राप्त हो सकती है।

5.4.6 विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक शुल्क की छूट एवं प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन, प्रिन्ट कर मय दस्तावेजों के सहित प्रवेशित संस्था में जमा करना होगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

5.4.7 संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन उपरान्त, सत्यापन स्लिप ई-पोर्टल पर अपलोड करेगा।

5.4.8 मध्यप्रदेश में स्थापित शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रकरणों की स्वीकृति संबंधित स्वीकृतकर्ता शासकीय शैक्षणिक संस्थान करेगा।

5.4.9 मध्यप्रदेश से बाहर के शासकीय/अशासकीय संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रकरणों में स्वीकृति संबंधित संचालनालय यथा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा द्वारा किया जावेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन एवं स्वीकृति उपरांत संस्था देय शुल्क की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रासंफर के माध्यम से की जायेगी।

5.6 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा एनआईसी पोर्टल एवं बैंक एकाउंट के माध्यम से किया जायेगा।

5.7 **"मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना"** हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पोर्टल को परिवर्तित योजना हेतु "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" की तर्ज पर विकसित किया जावेगा।

5.8 पोर्टल पर तीनों विभागों (तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा) को लॉगिन करने की सुविधा विकसित की जावेगी ताकि तीनों विभाग, उनसे संबंधित संस्थाओं के छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही सुगमता से कर सकें।

5.9 कंडिका 5.7 एवं 5.8 की सुविधा पूर्ण रूप से विकसित होने तक तीनों विभाग वर्तमान में संचालित प्रक्रिया अनुसार भुगतान कर सकेगे।

5.10 योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/7/18

(डॉ.एम.आर.धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

पृ.क्रमांक एफ 14-2/2008/42(2)

भोपाल, दिनांक 09/07/2018

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन उच्च् शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
6. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
8. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
12. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
13. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/7/18

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 24.08.2017

संशोधित-आदेश

क्र. 133/एफ 5-6/17/42-1

राज्य शासन एतद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/42-1 दिनांक 31-7-2017 में निम्नानुसार संसोधन किया जाता हे:

कंडिका 2.3 के आगे निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

"परन्तु, ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.4 तक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, तथा जिन्होंने वर्ष 2016 के पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किए हो, वे भी इस योजना में पात्र होंगे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

24/08/2017

(सभाजीत यादव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)/134 भोपाल, दिनांक 24.8.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/08/2017

(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

: : संशोधित-आदेश : :

भोपाल, दिनांक 30.08.2017

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)/1274 : : राज्य शासन एतद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 5-6/2017/42-1 दिनांक 31.07.2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कंडिका 3.4 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रस्थापित की जाती है :-

मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के **समस्त संस्थानों** में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं डयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी समल्लित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(सभाजीत यादव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)/1215 भोपाल, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/8

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय
: : संशोधित-आदेश : :

भोपाल, दिनांक 11.09.2017

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) : : राज्य शासन एतद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत जारी विभागीय संशोधित आदेश दिनांक 05.09.2017 को निरस्त किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) भोपाल, दिनांक 11.09.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

mmvy

12/9/17

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12.06.2017

: : आदेश : :

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2017 को लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। योजना को निम्न स्वरूप में अनुमति प्रदान की जाती है।

2. पात्रता की शर्तें:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो।

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो।

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसकी जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रेंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश किया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अन्तर्गत रेंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

किया हो, तो विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेगें, और इस आशय का रूपये 10 लाख का बॉड निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि 25 लाख रूपये रहेगी।

3.3 **विधि की पढाई** :-CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार के प्रमुख संस्थान जैसे योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल (SPA), IIM इंदौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी, बी.ए, बी.कॉम, नर्सिग, पोलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें-

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्यप्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनके परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फण्ड उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अन्तर्गत प्रदाय की गयी राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

5. **योजना का क्रियान्वयन-**

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जायेगी।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान /विद्यार्थी को ई-ट्रासंफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12/6

(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) भोपाल, दिनांक 12.06.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
8. आयुकत, कोष एवं लेखा, भोपाल।
9. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/6

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 29.07.2017

31-7-17

: : संशोधित-आदेश : :

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** में विभागीय आदेश 12 जून 2017 को संशोधित स्वरूप में निम्नानुसार निर्गत किया जाता है -

2. पात्रता की शर्तें:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो,

परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग समन्वय में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा, तथा

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा *वर्ष 2016 या उसके पश्चात* आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

स्पष्टीकरण- i) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

ii) ***शासकीय कॉलेज की परिभाषा में अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं समस्त शासकीय विश्वविद्यालय भी सम्मिलित माने जावेंगे।***

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई** :- **a.** जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/**डेन्टल कॉलेज** अथवा मध्यप्रदेश शासन में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज/**डेन्टल कॉलेज** के एमबीबीएस/**बीडीएस** पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। तो विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- NEET अथवा भारत शासन के अंतर्गत ऐसे संस्थान जो स्वंय के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा।

b. शासकीय मेडिकल कॉलेज/**डेन्टल कॉलेज** में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 **विधि की पढ़ाई** :-CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार के **समस्त संस्थानों** में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी, बी.ए, बी.कॉम, नर्सिग, पोलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.6 ***योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोडकर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी***

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जाएगा।

4. योजना की अन्य शर्तें -

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठयक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

5. योजना का क्रियान्वयन-

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जावेगी।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनांतर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा।

5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान /विद्यार्थी को ई-ट्रासंफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

5.6 ***ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।***

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु समन्वय में मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) भोपाल, दिनांक 29.07.2017

31-7-17

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

: : स्पष्टीकरण आदेश : :

भोपाल, दिनांक 04.09.2017

5/9/17

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) : : राज्य शासन एतद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में विभागीय दिनांक 31.07.2017 में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि कंडिका 3.1 का स्पष्टीकरण ii " शासकीय कालेजो की परिभाषा में अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं समस्त शासकीय विश्वविद्यालय भी सम्मिलित माने जायेगें।"

यह स्पष्टीकरण उक्त आदेश की कंडिका 3.1 से कंडिका 3.5 तक प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(सभाजीत यादव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

25/9/2017.

25 SEP 2017

Signature Not Verified

Signed By:Rakesh Kumar Verma

Reason:approved

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) भोपाल, दिनांक 04.09.2017

5/9/17

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. स्टॉफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Policy Documents of Gawn ki beti Yojna

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– F–19–7/08/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक–17.07.2008

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, महिला बाल विकास/वित्त/स्कूल शिक्षा विभाग/
   अनुसूचित जाति/जनजाति/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग
   मंत्रालय, भोपाल म प्र
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषयः– गाँव की बेटी योजना वर्ष 2008–09 (संशोधित)
संदर्भ – पत्र क्रमांक एफ–19–7/05/2–अड़तीस दिनांक 07.10.05 एवं पत्र क्रमांक F–19–7/07/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक 30.08.07

***

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गाँव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये **"गाँव की बेटी योजना"** के संबंध में एतद् द्वारा **गाँव की बेटी योजना नियम, 2008** बनाये जाते हैं।

1. योजना हेतु – पात्रता एवं मापदण्ड

1.1 यह योजना पूरे मध्यप्रदेश में लागू होगी।

1.2 छात्रा को गांव का निवासी होना चाहिए एवं 12वीं कक्षा गांव में रहकर गाँव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.3 योजना शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थाऐं जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार हों तथा विश्वविद्यालयों में लागू होगी एवं **गाँव की मेधावी छात्राएं जो शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से पाँच किलोमीटर की परिधि से बाहर अशासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र माना जावेगा।**

1.4 सभी शर्तें पूर्ण करने पर नवोदय विद्यालयों से पढ़कर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं पर भी यह योजना लागू होगी।

1.5 नगरीय अथवा शहरी क्षेत्रों की निवासी एवं उन क्षेत्रों के विद्यालयों से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र नहीं होंगी।

1.6 प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी में 12वी परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जाएगा, अतः प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालिका ने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होगा उसे ही इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

1.7 योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नहीं होगा।

1.8 ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। केवल इस योजना के लिये नगर पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर माना जायेगा।

1.9 छात्रा जिस सत्र में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना होगा।

1.10 यदि छात्रा 12वीं की कक्षा में पूरक से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो भी वह इस योजना के लिये पात्र होगी।

1.11 छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है।

1.12 स्नातक स्तर पर छात्रा का निरंतर अध्ययनरत होना आवश्यक है। उदाहरण के लिये – यदि छात्रा 2008 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो आगामी वर्ष में निरन्तरता से स्नातक शिक्षा पूर्ण करना आवश्यक है ।

1.13 छात्रा द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिया गया प्रमाण पत्र यदि गलत या असत्य पाया जाता है तो प्रदाय की गई छात्रवृत्ति की वसूली कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राचार्य स्तर पर की जावेगी ।

1.14 अशासकीय महाविद्यालय (क्र 1.3 अनुसार) में अध्ययनरत छात्राओं के इस योजना से लाभान्वित होने पर उच्च शिक्षा के अधीनस्थ संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

1.15 शैक्षणिक सत्र के **31 जुलाई, 2008** तारीख तक छात्रा का आवेदन पत्र प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2. चयन प्रक्रिया

2.1 सर्व प्रथम गाँव की प्रत्येक शाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक सूची तैयार करेगी जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्रतिशत अंकित होंगे।

2.2 इस मैरिट सूची को संबंधित गाँव की पाठशाला के प्राचार्य द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा जाएगा।

2.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर एक चयन समिति गठित होगी जो निम्नानुसार होगी–

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अध्यक्ष/संयोजक
2.	महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि।	सदस्य
4.	उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित क्षेत्र के ब्लाक एजूकेशन अधिकारी	सदस्य

2.4 प्रथम श्रेणी सूची के आधार पर समिति गाँव की पाठशाला से छात्राओं को गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र जारी करेगी, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लाक व जिले का उल्लेख होगा।

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

2.5 जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक सादा समारोह प्रति वर्ष 15 अगस्त को आयोजित किया जायेगा, जिसमें जनपद के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होंगे। इसमें गाँव की बेटी निम्न लिखित शपथ लेगी कि –

"मै .....(नाम).....(पिता / पति)..... (गाँव).....(तहसील).....एतद द्वारा शपथ लेती हूँ कि मै अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करूंगी तथा मेरी उच्च शिक्षा पूर्ण होनें के पश्चात जो भी कार्य करूंगी या समाज में जो भी स्थान ग्रहण करूंगी, उसके दौरान मैं अपने गाँव की अन्य बालिकाओं की शिक्षा के स्तर के उन्नयन एवं समाज में उनका स्थान बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहूँगी।"

2.6 सत्र 2008–09 हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तिथि **31 जुलाई, 2008** तथा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि **18 अगस्त, 2008** तक रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन समय–सीमा में प्राप्त होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र जारी करना सुनिश्चित करे व समय–सीमा में जारी न करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबधित अधिकारी का होगा।

2.7 समिति के समक्ष निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे–

1. शाला के प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं की सूची।
2. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित छात्रा द्वारा आवेदन पत्र।
3. संबंधित छात्रा गाँव की निवासी है, इस संबंध में सरपंच का प्रमाण–पत्र।
4. प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र।
5. जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र।

नोट– उपरोक्त सभी अभिलेखों का नमूना संलग्न है।

3. गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत लाभ एवं सुविधाएं–

3.1 गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को उच्च शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा (एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय), स्कूल शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में लाभ पाने की पात्रता होगी।

3.2 उपरोक्त कंडिका 3.1 में दर्शाए विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों (जिसमें छात्रा ने प्रवेश पाया है) के लिए निर्धारित शुल्क में छूट कि पात्रता होगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं को पृथक से निर्देश जारी करेगें। **किन्तु ऐसी गाँव की छात्राएं जिन्हें अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत होनें के कारण कंडिका 1.3 मे पात्र माना जावेगा उन्हें किसी भी तरह से निर्धारित शुल्क से छूट की पात्रता नहीं होगी।**

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

3.3 उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि उनके व्दारा संचालित छात्रावासों में इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को निर्धारित किये गये शुल्क से छूट प्रदान की जाये, एवं यदि संभव हो तो इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता भी दी जाए।

3.4 छात्रा को प्रतिमाह रू. 500/–(पांच सौ रूपये) की दर से शैक्षाणेक सत्र 10 माह के लिए रूपये 5000/–(पांच हजार रूपये) सालाना की आर्थिक मदद दी जाएगी।

3.5 योजना के अंतर्गत किराये के भवन में रहने पर किराये की पात्रता नहीं होगी।

4. **विवादों का निपटारा–**

गाँव की बेटी के चयन को लेकर विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष चयन के 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चयन के विरूद्ध प्राप्त अपील अपने अभिमत एवं संबंधित अभिलेखों के साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्णय हेतु भेजेंगे। आयुक्त, उच्च शिक्षा का गाँव की बेटी के चयन के संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16/7/08
(सेवाराम)
सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग 17/07/08

पृष्ठांकन क्रमांक/F–19–7/08/2–अड़तीस भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/ब्लाक जनपद पंचायत म.प्र.।

16/7/08
(महेन्द्र सिंह रघुवंशी)
उप सचिव,
म प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रपत्र – 1

फोटो

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
गाँव की बेटी योजना–आवेदन प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत जिला.....
मध्यप्रदेश।

निवास परिचय–

1 छात्रा का नाम.....

2 पिता का नाम माता का नाम

3 जन्म तिथि जन्म स्थान

4 स्थायी पता (गाँव का पता)
तहसील
थाना
जिला

5 जाति..... सा. / पिछड़ा / अनुजाति / जनजाति

6 शैक्षणिक परिचय

7 स्कूल / संस्था का नाम

उत्तीर्ण करने वर्ष	कक्षा	अनुक्रमांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	विषय
	10 वीं					
	12 वीं					

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है जो सत्य है।

हस्ताक्षर (छात्रा) हस्ताक्षर
(छात्रा के पिता / पति का पूरा नाम)

रसीद

कार्यालय, जनपद पंचायत ..... / जिला.....

कुमारी / श्रीमती.....पिता / पति श्री .....

. का पूर्ण आवेदन पत्र .....दिनांक को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
कार्यपालन अधिकारी

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रपत्र – 2

गाँव की बेटी योजना हेतु

.....ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.....

पिता/पति श्री .....ग्राम.....

विकास खण्ड.....तहसील.....

जिला.....के निवासी है तथा विगत .....वर्षों से गांव में निवास कर रहे हैं।

हस्ताक्षर पदमुद्रा
पंचायत सचिव सरपंच

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रपत्र – 3

गाँव की बेटी योजना हेतु शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र

.....ग्राम सरपंच का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.....

पिता/पति श्री .....इस विद्यालय में वर्ष.....से नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है, तथा अभिलेखों के अनुसार इन्होनें 12 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है

स्थान :.....

दिनांक :.....

प्राचार्य के
हस्ताक्षर/पदमुदा
सहित

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रपत्र – 4

चयनित गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.....

पिता/पति.....इस ग्राम.....

विकास खण्ड .....तहसील.....

जिला.....के अंतर्गत 12 वीं परीक्षा वर्ष.....में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इन्हें स्कूल की चयन समिति द्वारा गाँव की बेटी के रूप में चयन किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी के रूप में चयनित किया गया है। इन्हें गाँव की बेटी नियम, 2008 की **कंडिका–1.6 एवं 2.4 के अनुसार** इस योजना का लाभ पाने की पात्रता होगी।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर/पदमुदा सहित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत.....

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

प्रपत्र – 5

गाँव की बेटी योजना हेतु अशासकीय महाविद्यालय का प्रमाण–पत्र

.....महाविद्यालय, स्थान.....जिला.....

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.....

पिता/पति श्री .....इस महाविद्यालय की कक्षा .....सत्र.....में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर रही है, तथा अभिलेखों के अनुसार गांव की बेटी योजनान्तर्गत पात्र पाई गयी है । उक्त महाविद्यालय से पाँच किलोमीटर की परिधि में कोई अन्यत्र शासकीय /अनुदान प्राप्त महाविद्यालय संचालित नही है।

स्थान :.....

दिनांक :.....

प्राचार्य के
हस्ताक्षर/पदमुदा
सहित

प्राचार्य के
हस्ताक्षर/पदमुदा
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय.....
जिला : .....

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

Policy Documents of Pratibha Kiran Yojna

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

कमॉक 279 / 196 / आउशि / छा / 2021 भोपाल दिनांक 17.03.2021

प्रति,

प्राचार्य समस्त
अग्रणी शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय / अशासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषयः—गॉव की बेटी एवं प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना पात्र अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को भुगतान करने बावत्।

विषयांतर्गत लेख है कि गॉव की बेटी एवं प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना के बजट शीर्ष में दिनांक 16.03.21 की स्थिति में निम्नानुसार बजट उपलब्ध है :—

गॉव की बेटी प्रोत्साहन योजना

बजट शीर्ष	राशि
044—2202—03—103—0101—6916—V—41—002	47,39,000 / —
044—2202—03—103—0102—6916— V—41—002	56,44,500 / —
044—2202—03—103—0103—6916— V—41—002	5,81,500 / —

प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना

बजट शीर्ष	राशि
044—2202—03—103—0101—5476— V—41—002	17,500 / —
044—2202—03—103—0102—5476— V—41—002	14,89,000 / —
044—2202—)103—5476— V—41—002	14,61,500 / —

यदि I से संबंधित पात्र आवेदकों के लंबित प्रकरणों का तत्काल भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। बजट की उपलब्धता के पश्चात् भी यदि पात्र छात्राऐं लाभ से वंचित रह जाती है तो इसके लिए संस्था प्रमुख / अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार होंगे।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त / आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.कमांक 280 / 196 / आउशि / छा.शा. / 2021 भोपाल, दिनांक 17 / 03 / 2021

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त / आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Signature Not Verified
Signed By:Rakesh Kumar Verma
Reason:approved

AnyScanner